15/12/20

बिहार सरकार,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

बिहार कौशल विकास मिशन के नियंत्रणाधीन डोमेन स्कीलिंग/आर0टी0डी0/आर0पी0एल0 से संबंधित सभी केन्द्रों में प्रशिक्षण कार्य दिनांक–16.12.2020 से निम्नवत शर्तों के अनुरूप प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. सभी केन्द्र संचालक/समन्वयक कोविड 2020 के रोकथाम से संबंधित दिनांक–25.11.2020 को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया गया दिशा निर्देश तथा MOHFW से दिनांक–08.09.2020 को निर्गत दिशा निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे(SOP संलग्न)। साथ हीं भविष्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त होने वाले नये मार्गदर्शन का भी अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2. COVID-19 के रिस्क को कम करने हेतु केन्द्रों के सभी Faculty members, Employees, Student, Visitor को हर समय निम्नांकित विषयों का अनुपालन एवं ध्यान रखना होगा।
   i. दो व्यक्तियों के बीच यथासंभव 6 फीट की दूरी, साबुन अथवा सेनीटाइजर से समय समय हाथ धोना, खांसने या छींकने के वक्त मूंह को रूमाल टीसू पेपर या केहुनी से ढकना अपने स्वास्थ्य की सेल्फ मॉनिटरिंग करना एवं बिमार होने पर सूचित करना।
   ii. सभी कर्मियों एवं प्रशिक्षणार्थियों को Face mask लगाना अनिवार्य होगा ।
   iii. आरोग्य सेतु ऐप का यथा संभव इनस्टॉलेशन एवं प्रयोग करना।
   iv. सारे केन्द्रों को खोलने से पूर्व 1% Sodium Hypochloride Solution से सेनिटाइज कराना होगा।
3. केन्द्र पर कार्यरत Trainer को भुगतान की जाने वाली राशि केवल चेक अथवा Account transfer के माध्यम से किया जायेगा। जिससे संबंधित प्रमाण केन्द्र को बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
4. सभी कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षणार्थियों/Trainer की उपस्थिति दर्ज किये जाने हेतु आधार आधारित बायोमेट्रिक मशीन का हीं उपयोग किया जायेगा।
5. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि बायोमेट्रिक मशीन के बगल में हैण्ड सेनेटाईजर की समुचित व्यवस्था हो।

अनुलग्नक–यथोक्त

(हस्ताक्षर)
(मिहिर कुमार सिंह)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक–BSDM/KYP–73/2020–928 पटना, दिनांक– 15/12/20

प्रतिलिपि– 1) सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

2) अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ मिशन निदेशक/ मिशन प्रबंधक, कार्यक्रम क्रियान्वयन/ मिशन प्रबंधक, समन्वय/ मिशन प्रबंधक, वित्त एवं लेखा/ सहायक निदेशक, नियोजन/ प्रोजेक्ट डायरेक्टर E&Y/ प्रोजेक्ट डायरेक्टर MKCL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3) सभी केन्द्र संचालक/ केन्द्र समन्वयक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

828
15|12|20

4) सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बिहार को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने संबंधित प्रखण्डों में अवस्थित कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण संयुक्त रूप से जिला कौशल प्रबंधक के साथ करते हुए तत्संबंधी जॉच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में Solar visit App के माध्यम से बिहार कौशल विकास मिशन को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक–यथोक्त

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।